बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री केशव दत्ता, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जाले, दरभंगा (निलंबित) के विरूद्व कतिपय आरोपों के तहत विभागीय ज्ञाप संख्या 2473 दिनांक 06.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी का अधिगम उनके पत्रांक 307 दिनांक 13.12. 2011 द्वारा विभाग में उपलबध हुआ, जिसमें श्री दत्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के विरूद्व श्री दत्ता से विभागीय पत्रांक 1269 दिनांक 29.02.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री दत्ता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत वर्णित आरोपों का औचित्य इनके विरूद्व स्पष्ट रूप से प्रमाणित नही पाया गया।

अतः श्री दत्ता को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है। श्री दत्ता निलंबन अवधि में नियमानुसार वेतनादि के हकदार होगें। श्री दत्ता को भविष्य में सर्तक रहने के लिए चेतावनी दी जाती है।

निलंबन से मुक्ति के पश्चात श्री दत्ता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभागीय मुख्यालय में योगदान करेंगे। इनके पदस्थापन की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

ह0/–
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 दरभंगा 02/2011 3258 खाद्य, पटना दिनांक– 24/5/2012

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, दरभंगा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/ प्रशाखा पदा– 03/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री केशव दत्ता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:food Supply/direc sec-8